राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः F.59. DLB/STP/Review of M.P. (55)/17/5570 दिनांकः 02/07/19

कार्यालय आदेश

शासन सचिव महोदय द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में तैयार किये जा रहे जोनल डवलपमेंट प्लान के कार्यो की समीक्षा हेतु दिनांक 17.05.2019 को समस्त संभाग हेतु विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई।

उक्त विडियो कॉन्फ्रेन्स के दौरान शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित किये जाने बाबत आदेश दिनांक 24.06.2019 जारी किये गये थे। जोनल डवलपमेंट प्लान से संबंधित कार्य का किसी भी नगरीय निकाय द्वारा अग्रिम आदेशों तक भुगतान नही किया जावें।

1. जोनल डवलपमेंट प्लान से संबंधित कार्य का किसी भी नगरीय निकाय द्वारा अग्रिम आदेशों तक भुगतान नही किया जावें।
2. जिन नगरीय निकायों द्वारा कन्सलटेन्सी फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया गया है, तथा उक्त फर्म द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नही किया गया है, तो नियमानुसार नोटिस/विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यादेश निरस्त किया जावें।
3. नगरीय निकाय द्वारा कन्सलटेन्सी फर्म को जारी कार्यादेश, किये गये कार्य के भुगतान का विवरण मय फर्म का नाम 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. कोई भी नगरीय निकाय इस कार्य हेतु मुख्य नगर नियोजक कार्यालय से डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट नियुक्त होने तक नया कार्यादेश जारी नही करें।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के के क्रम मे निम्नानुसार बिन्दु सं. 4 को संशोधित एवं 5 प्रतिस्थापित किये जाते है :–

4. उक्त कार्य हेतु मुख्य नगर नियोजक से डेडीकेटेड कंसलटेन्ट नियुक्त करने की स्वीकृति के बाद ही नगरीय निकायों के द्वारा नया कार्यादेश जारी किया जावें।
5. फर्म द्वारा किये गये कार्य का भुगतान मुख्य नगर नियोजक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जावें।

बिन्दु सं. 1, 2 व 3 यथावत रहेगें।

2/7/19

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

कमांकः F.59. DLB/STP/Review of M.P. (55)/17/5571-5579 दिनांकः 02/07/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज.जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
5. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
6. जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक